रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245071
CG-DL-E-10042023-245071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1611] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2023/चैत्र 20, 1945
No. 1611] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2023/CHAITRA 20, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023

का.आ. 1690(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड', दिल्ली (पैन AAAAC8859Q), केंद्रीय सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड, को उस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः

(क) परीक्षा शुल्क;

(ख) संबद्धता शुल्क;

(ग) पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री;

(घ) पंजीकरण शुल्क, खेल शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क और अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां;

(ङ) सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्तियां;

(च) आयकर धनवापसी पर ब्याज; और

(छ) उक्त (क) से (च) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली,-

(क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2020-2021 (01.06.2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए) तथा वित्तीय वर्ष 2021-2022 से वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए लागू हुई मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 20 /2023 फा. सं. 196/19/2014-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2023

S.O. 1690(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Central Board of Secondary Education', Delhi (PAN AAAAC8859Q), a Board constituted by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

(a) Examination Fees;
(b) Affiliation Fees;
(c) Sale of Text Books & Publications;
(d) Registration fees, Sports fees, Training fees and Other Academic receipts;
(e) Receipts from CBSE Projects/Programmes;
(f) Interest on income tax refunds; and
(g) Interest earned on (a) to (f) above.

2. This notification shall be effective subject to Central Board of Secondary Education, Delhi:-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2020-2021 (for period from 01-06-2020 to 31-03-2021) and for the financial year 2021-2022 to financial year 2022-2023 and shall be applicable with respect to the financial years 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 20/2023 F.No.196/19/2014-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA